

हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

कार्यसूची

ग्यारहवां सत्र

वीरवार, 10 मार्च, 2016/20 फाल्गुन, 1937(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. प्रश्नोत्तर:

(1) तारांकित :

दिन के लिए }
}

पृथक सूची में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) अतारांकित :

दिन के लिए }
}

पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :

श्री धनी राम शांडिल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री, हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम अधिनियम, 1979 की धारा 23 (6) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम, हमीरपुर की 34वीं वार्षिक प्रशासनिक विवरणिका वर्ष 2014-15 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

(1) श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2015-16), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

(i) समिति का 126वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 (राज्य के वित्त/सिविल) पर आधारित तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित है; और

- (ii) समिति का 127वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 205वें मूल प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा वन विभाग से सम्बन्धित है ।
- (2) श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2015-16), समिति का 51वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 (वाणिज्यिक) के पैरा संख्या 3.7 से 3.14 की संवीक्षा पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी ।
- (3) श्री राकेश कालिया, सभापति, जन-प्रशासन समिति, (वर्ष 2015-16), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-
- (i) समिति का 19वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि गृह विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और
- (ii) समिति का 20वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि राजस्व विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है ।
- (4) श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2015-16), समिति का 20वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 13वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी ।

4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

श्रीमती आशा कुमारी , दिनांक 9 मार्च, 2016 को उमर उजाला समाचार-पत्र में छपे समाचार शीर्षक: "मणिमहेश में ग्लेशियर की चपेट में आए पांच युवक, दो लापता " से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

5. विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन:

कार्य-सलाहकार समिति का दशम् प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) सभा में उपस्थापित किया जाएगा तथा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी किया जाएगा।

6. गैर-सरकारी सदस्य कार्य :

"संकल्प"

(गैर-सरकारी सदस्य के संकल्पों की सूची संलग्न है)

शिमला-171 004
दिनांक: 09 मार्च, 2016

सुन्दर सिंह वर्मा,
सचिव।

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)

हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

गैर-सरकारी सदस्य कार्य

'संकल्प'

ग्यारहवां सत्र

वीरवार, दिनांक 10 मार्च, 2016, को चर्चा हेतु लिए जाने वाले
गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों की सूची:

क्र०सं०	सदस्य का नाम	उद्धरण
1.	श्री इन्द्र सिंह:	"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश के युवाओं में नशीले पदार्थों के उपयोग की बढ़ती प्रवृत्ति व उससे आपराधिक घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी को रोकने के लिए नीति बनाए।"
2.	श्री महेन्द्र सिंह:	"प्रदेश के चिन्हित क्षेत्रों में बादल फटने एवं भारी वर्षा से जान माल की क्षति व भूमि कटाव को रोकने के लिए एक बृहद योजना बना कर केन्द्र सरकार को भेजी जाये और उसके लिए आर्थिक पैकेज की मांग की जाए।"
3.	श्री रविन्द्र सिंह:	"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में विश्व बैंक या विदेशी सहायता द्वारा पोषित विभिन्न योजनाओं से वंचित पंचायतों में विकास की गति को बढ़ावा देने के लिए परियोजनाओं को तत्काल स्वीकृति हेतु विश्व बैंक या विदेशी सहायता के लिए भेजा जाए।"
उक्त के अतिरिक्त निम्न प्रस्ताव जो दिनांक 03-12-2015 को सदन में प्रस्तुत किया जा चुका है पर आगे चर्चा होगी।		
	श्री रिखी राम कौंडल:	"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में उपलब्ध सौर ऊर्जा के दोहन हेतु सभी जिलों में सौर ऊर्जा पार्क/संयंत्रों की स्थापना हेतु नीति बनाए।"

सचिव,

हि० प्र० विधान सभा।
